उत्तरांचल शासन,
आवास एवं शहरी विकास विभाग,
देहरादून ।

संख्या-1113/आ0/श0वि0-2002(1) 149(आ)2002 देहरादूनः दिनांक-05 दिसम्बर, 2002

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार की राय है कि जिला बागेश्वर के निम्नलिखित क्षेत्र की भूमि के अव्यवस्थित वितरण, भवनों के अनियोजित निर्माण और निम्न स्तर के उपनिवेशों की बढ़ोत्तरी को रोकने के लिये और समुचित योजना के अनुसार उक्त क्षेत्र के विकास एवं विस्तार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम-1958 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-34 सन् 1958) के अधीन विनियमित करना अपेक्षित है।

अतएव अब, उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से जनपद बागेश्वर के निम्नलिखित क्षेत्र को बागेश्वर विनियमित क्षेत्र घोषित करते हैं।

विनियमित क्षेत्र, बागेश्वर

(क) बागेश्वर नगरपालिका परिषद सीमा के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र।

(ख) बागेश्वर तहसील के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों का क्षेत्र।

1. कठायतबाड़ा
2. भलगौला
3. अड़ोली
4. बिनवाल तिवाड़ी
5. बलसूना
6. डिकरा
7. मंजिया खोत
8. सैंज
9. त्यूनरा
10. कफल खोत
11. वड़ैत
12. दवाली
13. गाड़ गाँव
14. मण्डल सेरा
15. फल्टनिया
16. छुटमल
17. [illegible]
18. पांडियारवाला

आज्ञा से,

(पी0के0 महान्ति)
सचिव।

संख्या-1113 /आ0/श0वि0-2002(1) 149(आ0)/2002 देहरादूनः दिनांक-05 दिसम्बर, 2002

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से कि व इसे दिसम्बर, 2002 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 के सम्बन्धित खंड में प्रकाशित करायें तथा 10 प्रतियां इस अनुभाग को एवं 5-5 प्रतियां नीचे अंकित अधिकारियों को सीधे उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जी0वी0 ओली)
अनु सचिव।

संख्या-1113 /आ0/श0वि0-2002(1) 151(आ0)/2002 देहरादूनः दिनांक-05 दिसम्बर, 2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर को इस आशय से कि वे नियंत्रक प्राधिकारी के समस्त सदस्यों को आदेश की एक प्रति अपने स्तर से प्रेषित करते हुए तत्सम्बन्धी सूचना शासन को भी प्रेषित करने का कष्ट करें।
3. प्रभारी अधिकारी, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
4. उप-जिलाधिकारी, बागेश्वर।

आज्ञा से,

(जी0वी0 ओली)
अनु सचिव।